

Title: Need to reduce GST rate on marble granite tiles.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी (चित्तौड़गढ़) : महोदया, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। एक जुलाई 2017 इस देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। आर्थिक क्रांति के रूप में पूरा देश इस साहसिक निर्णय को मानता है और पूरे देश की जनता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती है। पहले देश की जनता और व्यापारियों को अनेक तरह के करों का सामना करना पड़ता था, अब यह एक देश-एक कर का बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय देश के प्रधानमंत्री ने इस देश को दिया है। मेरे संसदीय क्षेत्र चित्तौड़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में एग्रीकल्चर के बाद सबसे प्रमुख उद्योग कोई है, तो वह मार्बल उद्योग है। मेरे संसदीय क्षेत्र में और पूरे राजस्थान में लगभग चार हजार माइन्स हैं और हजारों ग्रेनाइट और मार्बल के गैंगसो हैं। छोटे दस हजार से ज्यादा गटर हैं।

महोदया, कई चीजों के टैक्स में, करों में मानवीय भूल होने के कारण कई निर्णयों में सुधार किया गया है और कई चीजों में सुधार करके वापस उस निर्णय को सरकार ने बदला है। मार्बल एक बहुत बड़ा उद्योग है और राजस्थान में केन्द्र सरकार ने वैसे भी मार्बल के ऊपर एक्साइज में छूट दे रखी है और मार्बल एक ऐसा उद्योग है, जो सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की श्रेणी में आता है, जिसमें तीन परसेंट एक्साइज लगती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि मार्बल उद्योग में कर निर्धारण में जो त्रुटियाँ हुई हैं, उसको सुधार करते हुए, जिस 28 परसेंट में मार्बल उद्योग को लिया गया है, उस स्लैब को नीचे किया जाये। ऐसा ही हमारे निम्बाड़ा स्टोन और टैक्सटाइल उद्योग में भी है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से माँग है कि निश्चित रूप से उस क्षेत्र के हित को देखते हुए उस पर निर्णय किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र और

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।